

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठारीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 579/2018

प्रार्थी:-

वनाग अप्रार्थीगण:-

1. तहसीलदार(भूमिधारक), पाली

1. श्री नन्द किशोर पुत्र श्री मोहनलाल जाति
माहेश्वरी निवासी 19 बिडलो का बास पाली।

उपरिस्थिति:-

1. श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री शंकरलाल गहलोत, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

-:निर्णय:-

दिनांक 19-12-2019

1- प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी नन्द किशोर पुत्र मोहनलाल जाति माहेश्वरी निवासी 19 बिडलो का बास पाली तहसील पाली द्वारा ग्राम गुडा एन्दला खसरा नम्बर 333/5 रकबा 20.00 बीघा किस्म बारानी अब्बल भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग परिवर्तन करने पर धारा 177 के तहत प्रकरण बनाकर उक्त भूमि को सरकारी घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी का धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र सफल योग्य है। पटवार मण्डल ग्राम गुडा एन्दला के खसरा नम्बर 333/5 रकबा 20.00 बीघा किस्म बारानी अब्बल खातेदार राधा किशन पुत्र मोहनलाल माहेश्वरी निवासी 19 बिडलो का बास पाली द्वारा ग्राम पाली द्वितीय में कृषि भूमि पर को बिना संपरिवर्तन कराये स्वरूप बदल किया जाकर मौके पर प्लाट काट कर कृषि भूमि की मौके पर अलग से स्थिति उत्पन्न कर दी गई गयी है। तथा वर्तमान में अकृषि उपयोग होने से और स्थिति विगड सकती है अतः इस भूमि में किसी भी प्रकार कोई निर्माण इत्यादि नहीं करे। इस हेतु अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा पारित पाबन्द करना आवश्यक है।

2- प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3- अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं कर बहस करना चाहा।

4- बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की सुनी गई।

5- तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार) ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी अप्रार्थी नन्द किशोर पुत्र मोहनलाल जाति माहेश्वरी निवासी 19 बिडलो का बास पाली तहसील पाली द्वारा ग्राम गुडा एन्दला खसरा नम्बर 333/5 रकबा 20.00 बीघा किस्म बारानी अब्बल भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग परिवर्तन करने पर धारा 177 के तहत प्रकरण बनाकर उक्त भूमि को सरकारी घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी का धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र सफल योग्य है। पटवार मण्डल ग्राम गुडा एन्दला के खसरा नम्बर 333/5 रकबा 20.00 बीघा किस्म बारानी अब्बल खातेदार राधा किशन पुत्र मोहनलाल माहेश्वरी निवासी 19 बिडलो का बास पाली द्वारा ग्राम पाली द्वितीय में कृषि भूमि पर संपरिवर्तन के स्वरूप बदल किया जाकर मौके पर प्लाट काट कर कृषि भूमि की मौके पर अलग से स्थिति उत्पन्न कर दी गई गयी

सहायक कलेक्टर
पाली

है। तथा वर्तमान में अकृषि उपयोग होने से और स्थिति बिगड़ सकती हैं अतः इस भूमि में किसी भी प्रकार कोई निर्माण इत्यादि नहीं करे।


6- विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया की तहसीलदार पाली द्वारा जो तथ्य बताये गये हैं उनसे मैं असहमत हूँ क्योंकि मौके पर कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य करने हेतु किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। अतः आप अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं करें।

7- बहस का मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया। मौजा ग्राम गुडा एन्दला खसरा नम्बर 333/5 रकबा 20.00 बीघा किस्म बारानी अब्बल रिथत है। तहसीलदार पाली ने बहस में निवेदन किया कि मौके पर प्लाट काट कर कृषि भूमि की मौके पर अलग से स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। इस कारण उक्त कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी जारी की जाती है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी किसी प्रकार का अकृषि कार्य अप्रार्थी न तो स्वयं करें तथा न ही अपने अधीनस्थ किसी नौकर चाकर एजेंट इत्यादि के माध्यम से करावें तथा मौका एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति को अप्रार्थी बनाये रखें।

8- उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी की जावे।


सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 19-12-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
पाली

